

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0310-4 (110)-3064-04-63/2022 A A6 / पटना, दिनांक- 01.07.2022

सेवा में,

श्रीजय मुखी, मातामह
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं तक्याशी)
बिहार, पटना।

विषय:- वितीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा
शेरा समुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत,
उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड- 37- 3054-04 -
105 - 0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन
निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित सम्बाई एवं
शशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा शेरा समुख्य
शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क
अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान
ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित सम्बाई
एवं शशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

Sl.No	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Development with Surface Treatment (in Lakhs)	Cost of Annual Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergency Repair (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sonepur	Dariyapur	3130641896076	HH-19 To Bela Via Babu Tola, Bazaripur, Durbela	9.156	215.64	159.11	21.96	396.71
2	Sonepur	Dariyapur	31306402128	Dighwara Field Road to Rampur Jagdish	1.335	45.026	13.426	4.005	62.457
3	Sonepur	Dariyapur	31306402070	Saran Bandh Soreya To Saranayan	1.666	55.696	17.196	5.316	78.208
4	Sonepur	Dariyapur	31306402139	Parse Road To Mahamadpur	1.666	54.796	13.596	5.405	73.897
5	Sonepur	Dariyapur	31306402116	T07 to Rashulpur	1.666	43.637	15.496	4.309	63.442
6	Sonepur	Dariyapur	31306413009	Purnadih PMOSY Path To Bati Chapra Gramin Path	1.766	72.276	22.576	7.276	102.128
7	Sonepur	Dariyapur	31306413095	Mansa Baba Turki to Turki Rajput Tola	1.666	28.186	12.441	2.313	43.039
8	Sonepur	Dariyapur	31306412025	Sitalpur Parsa Road RBO To Lal Tola	1.666	29.152	12.634	2.916	44.702
9	Sonepur	Dariyapur	31306412001	Akhilpur RBO Road to Manikchak	1.675	34.532	12.315	3.458	50.305
10	Sonepur	Dariyapur	31306413007	Dahihara Charidhuj To Harjan Tola	1.666	34.433	12.612	3.445	50.49
11	Sonepur	Dariyapur	31306413068	Dariyapur Derna RBO Road To Musahri Tola	6.766	22.593	8.327	2.279	33.199
12	Sonepur	Dariyapur	31306401006	Pirani ke gram Pipari Village to Bedauliya	2.406	78.676	35.656	7.316	121.648
TOTAL					24.256	715.343	239.219	71.542	1025.414

6

30/6/22

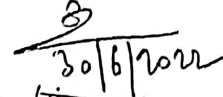
2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सोनपुर के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018" के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इस योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-53/2022 में दिनांक 09.06.2022 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 30.6.2022 को संचिका संख्या- मु0अ0-4(मु0)-3054-01-53/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

30/6/2022

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 - 4 (मु0) - 3054 - 01 - 53/2022 के पृ0-07/टि0 पर दिनांक-29/6/22 को प्राप्त है।

6

विश्वासभाजन



(संजय दूबे)

विशेष सचिव